

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024
चैक लिस्ट (Check List)

अनुक्रमांक –

क्र० सं०	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हां/नहीं)
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र (वरीयता सहित)।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अपनी Handwriting में पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अपनी Handwriting में पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अपनी Handwriting में पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र।	
06	इण्टरमीडिएट अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र।	
07	स्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका एवं उपाधि।	
08	परास्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका एवं उपाधि। (यदि लागू हो)	
09	अधिमानि अर्हता (यदि लागू हो)- 1. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा पूर्ण की हो। 2. नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। 3. नेशनल कैडेट कोर का "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। 4. राष्ट्रीय सेवा योजना का "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। 5. विधि स्नातक की अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका एवं उपाधि।	
10	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0) (यदि लागू हो)	
11	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/दिव्यांग/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे/उत्तराखण्ड कुशल खिलाडी/उत्तराखण्ड राज्य के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित) (यदि लागू हो)	
12	उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आंदोलनकारी कोटे से क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है अथवा नहीं। (यदि लागू हो)	
13	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो)	
14	यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में शारीरिक मानक में छूट का दावा किया गया हो, तो दावे के सापेक्ष पर्वतीय क्षेत्र प्रमाणपत्र। (यदि लागू हो)	
15	पूर्व सैनिक हेतु डिस्चार्ज प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	

16	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो)	
17	यदि अभ्यर्थी के स्वयं/पिता/माता/पति के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में। (यदि लागू हो)	
18	विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (समूह 'ग' पद हेतु) के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछित अर्हता (Required Eligibility) के अंतर्गत (Yes) चयनित किये गये निम्न बिन्दु/बिन्दुओं में से किसी एक के समर्थन में पुष्ट प्रमाण-पत्र/अभिलेख-	
	1. Is Your name registered in any District Employment Office located in Uttarakhand State? अथवा	
	2. Are You Employed? अथवा	
	3. Have You passed your High School and Intermediate or any other equivalent exams from any recognized institution situated in the State of Uttarakhand? अथवा	
	4.(i) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Armed Forces/Paramilitary Forces serving in the state or Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(ii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the State Government/Semi Government organisation serving on a regular basis in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(iii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Central Government organisation/Central Government Public service undertaking and are working regularly on the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	5.(i) Are you permanent resident of Uttarakhand but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purposes? अथवा	
5.(ii) Is your spouse or your parents permanent residents of Uttarakhand but are residing outside Uttarakhand for livelihood/education purposes?		
19	अभिलेख सत्यापन हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि। (जिसका ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण दिया गया है।)	
20	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

**** एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0** आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 04.01.2025 तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या-310 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हों।

******* आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र, आवेदन की अन्तिम तिथि 04.01.2025 तक अवश्य वैध होना चाहिए अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए जारी होना चाहिए।

नोट- अभ्यर्थी उक्तानुसार विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) के 02 सेट पृथक-पृथक पूर्ण रूप से स्वयं की **Handwriting** में भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम